राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1958

(1958 का अधिनियम सं. 28)

राज्यपाल की अनुमति तारीख 23 जून, 1958 को प्राप्त हुई।

राजस्थान राज्य में साहित्यिक, वैज्ञानिक, पूर्त तथा कतिपय अन्य सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपलब्ध करने के लिए अधिनियम।

अतः यह समीचीन है कि साहित्य,विज्ञान या ललित कलाओं की पदोन्नति के लिए या उपयोगी जानकारी के प्रसार के लिए या राजनीतिक शिक्षा के प्रसार के लिए अथवा पूर्व प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियों की विधिक परिस्थिति सुधारने के लिए विधि को समेकित तथा संशोधित किया जाये ।

भारत गणराज्य के नवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान–मण्डल यह अधिनियम बनाता हैः–

1. **संक्षिप्त नाम,प्रसार तथा प्रारम्भः**– (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 है।

इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राज–पत्र' में अधिसूचना द्वारा नियम करे।

1–क. **निवर्चनः**–(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,इस अधिनियम में,–

(!)'रजिस्ट्रार' से राज्य की सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अभिप्रेत हैः

परन्तु राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या अधिकारी को, नाम द्वारा या उसके पद के आधार पर, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी,और ऐसी दशा में इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति या अधिकारी ऐसे प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रार होगा,और

(!!) 'राज्य' या राजस्थान राज्य से राज्य पुनर्गठन अधिनियम,1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 37) की धारा 10 द्वारा यथा निर्मित राजस्थान राज्य अभिप्रेत है।

(2) राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम,1955 (1955 काराजस्थान अधिनियम 8) के उपबन्ध यथाशक्य यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस अधिनियम पर लागू होंगे।

1–ख. संगम के ज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण द्वारा सोसाइटियों का बनाया जानाः– किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक, या पूर्त प्रयोजन के लिए या किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जो धारा 20 में वर्णित है, सहयुक्त कोई सात या अधिक व्यक्ति एक संगम के ज्ञापन में अपने नाम हस्ताक्षरित करके और उसे रजिस्ट्रार के पास दाखिल करके इस अधिनियम के अधीन अपने आपको सोसाइटी के रूप में गठित कर सकेंगे।

2. संगम के ज्ञापन की अन्तर्वस्तुः– (1) संगम के ज्ञापन में निम्नलिखित बाते होंगी, अर्थात्–

(क) सोसाइटी का नाम,

(ख) सोसाइटी के उद्धेश्य,

(ग) परिषद्, समिति या अन्य शासी निकाय के, जिनको कि सोसायटी के नियमों और विनियमों द्वारा उसके काम–काज का प्रबन्ध सौपा गया है, व्यवस्थापकों,निदेशकों,न्यासियों, सदस्यों (जिस किसी भी

नाम द्वारा उन्हें पदाविहित किया जावे) के नाम, पते और उपजीविकाएं।

(2) सोसाइटी के नियमों और विनियमों की एक प्रति जो शासी निकाय के व्यवस्थापकों, निदेशकों, न्यासियों या सदस्यों में से तीन से अन्यून द्वारा सही प्रति के रूप में प्रमाणित हो,संगम के ज्ञापन के साथ दाखिल की जायेगी।

(3.) रजिस्ट्रीकरण और फीसः— (1) ऐसे ज्ञापन और प्रमाणित प्रति के दाखिल किये जाने पर रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा कि उस सोसायटी की इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री की जाती है।

(2) ऐसे प्रत्येक पंजीकरण हेतु पंजीयक को इतना शुल्क,जितना कि राज्य सरकार समय समय पर निर्देशित करेगी,भुगतान किया जायेगा तथा इस प्रकार भुगतान किये गये समस्त शुल्कों को राज्य सरकार के लेखाओं में सम्मिलित किया जायेगा।

वार्षिक सूची का फाइल किया जाना :— हर वर्ष में एक बार,उस दिन के, जिसको कि सोसाइटी के नियमों तथा विनियमों के अनुसार सोसायटी का वार्षिक साधारण अधिवेशन किया जाता है।,उत्तरवर्ती चौदहवें दिन को या उससे पूर्व या यदि नियमों तथा विनियमों में वार्षिक साधारण अधिवेशन के लिए उपलब्ध नही है तो जनवरी के मास में रजिस्ट्रार के पास एक सूची दाखिल की जायेगी जिसमें परिषद् समिति या अन्य शासी निकाय के व्यवस्थापकों,निदेशकों न्यासियों या सदस्यों के,जिनको सोसाइटी के काम—काज का प्रबन्ध तत्समय सौंपा हुआ हो,नाम,पते और उपजीविकाएं होगी ।

4—क. शासी निकाय और नियमों में हुए परिवर्तनों का फाईल किया जानाः—

(1) धारा 4 में वर्णित सूची के साथ,रजिस्ट्रार को एक विवरण,जिसमें उस परिषद समिति या अन्य शासी निकाय जिसे सोसाइटी के काम काज का प्रबन्ध सौपा हुआ हो, के व्यवस्थापकों, निदेशकों, न्यासियों या सदस्यों में उस वर्ष जिससे सूची सम्बन्धित है, के दौरान किये गये समस्त परिवर्तन दर्शित किये जायें,तथा सोसाइटी के नियमों और विनियमों की एक प्रति भी जो अद्‌यतन शुद्ध कृत हो और शासी निकाय के व्यवस्थापको, निदेशकों, न्यासियों या सदस्यों में से तीन से अन्यून द्वारा सही प्रति के रूप में प्रमाणित हो,भेजी जायेगी।

(2) सोसाइटी के नियमों और विनियमों में किए गए प्रत्येक परिवर्तन की एक प्रति,जो पूर्वोक्त रीति से सही प्रति के रूप में प्रमाणित हो, ऐसे प्रमाणित करने के पन्द्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रार को भेजी जायेगी ।

4— ख. धारा 4 या 4—क के अनुपालन अथवा मिथ्या प्रविष्टि के लिए शास्तिः—

(1) यदि अध्यक्ष, सचिव या सोसाइटी के नियमों और विनियमों द्वारा अथवा सोसाइटी की शासी निकाय के किसी संकल्प द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, धारा 4 या धारा4—क के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह ,दोष सिद्धि पर जुर्माने से पॉच सौ रूपये तक का हो सकेगा और ऐसे अपराध के लिए प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात् भंग के चालू रहने की दशा में प्रत्येक दिन जिसके दौरान व्यक्तिक्रम चालू रहता है, के लिए पचास रूपये से अनधिक अतिरिक्त जुर्माने से, दण्डनीय होगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति धारा4 के अधीन फाइल की गई सूची में या धारा 4–क के अधीन रजिस्ट्रार कों भेजे गये किसी विवरण में या नियमों और विनियमों की या उनमें किये गये परिवर्तनों की प्रति में जानबूझकर कोई मिथ्या प्रविष्टि या लोप करता है या कराता है तो वह दोष सिद्धि पर, जुर्माने से जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा,दण्डनीय होगा ।

4–ग. धारा 4 ख के अधीन अपराधों का संज्ञानः– प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय धारा–4 ख के अधीन किसी अपराध पर विचारण नही करेगा और न ऐसे किसी अपराध का संज्ञान,रजिस्ट्रार अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा लिखित में किये गये परिवाद के बिना किया जायेगा।

सोसाइटी की सम्पत्ति किसमें निहित होगी :– (1) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की या उसके द्वारा धारित या अर्जित स्थावर और जंगम सम्पत्ति,यदि सोसाइटी के लिए न्यास के तौर पर न्यासियों में निहित नही है तो ऐसी सोसाइटी के शासी निकाय में तत्समय इस प्रकार निहित समझी जायेगी और सभी सिविल आपराधिक कार्यवाहियों में ऐसी शासी निकाय की सम्पत्ति के रूप में वर्णित की जा सकेगी।

(2) जहां कोई सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के लिए किसी सोसाइटी के लिए न्यास के तौर पर न्यासियों में निहित है या निहित होनेवाली है और कोई नये न्यासी धारा 5–क के अधीन और अनुसार नियुक्त किये गये है तो किसी लिखित में अथवा सोसाइटी के नियमों औरविनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी उक्त सम्पत्ति बिना किसी हस्तान्तरण या अन्य

आश्वासन के बाद ऐसे नये न्यासियों तथा बने रहे पुराने न्यासियों में संयुक्त रूप में निहित हो जायेगी,या यदि कोई बने रहे पुराने न्यासी हैं तो उसी न्यास पर ऐसे नये न्यासियों में,उन्ही शक्तियों और उपबन्धो सहित तथा उनके अध्यधीन पूर्णतः उसी प्रकार निहित हो जायेगी जिस प्रकार कि वह पुराने न्यासियों में निहित थी।

5—क. नये न्यासियों की नियुक्तिः— (1) जब किसी ऐसे न्यासी या न्यासियों जिनमें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की या उसके द्वारा धारित या अर्जित सम्पत्ति ऐसी सोसाइटी के लिए न्यास के तौर पर निहित है, के स्थान में या उनके अतिरिक्त नया न्यासी या न्यासियों को नियुक्त करना आवश्यक है हो जाय तो ऐसा या ऐसे नये न्यासी—

(क) ऐसे किसी लिखित जिसके द्वारा ऐसी सम्पत्ति इस प्रकार निहित है या जिसके द्वारा वह न्यास जिस पर वह सम्पत्ति धारित है,घोषित किया गया है,द्वारा विहित रीति से, या

(ख) उस दशा में जबकि उक्त रीति इस प्रकार विहित नही की गई है या किसी कारणवश ऐसा नया न्यासी उक्त रीति से नियुक्त नही किया जा सकता है,

(!) ऐसी रीति से जैसा कि ऐसी सोसाइटी के सदस्यों के सदस्यों द्वारा करार पाई जाये,या

(!!) उस सभा में, जिसमें कि नियुक्ति की जाय,वस्तुतः उपस्थित ऐसे सदस्यों में से दो तिहाई से अन्यून सदस्यों के बहुमत से नियुक्त किये जा सकेगें।

(2)किसी नये न्यासी की उप धारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक नियुक्ति, उस सभा के,जिसमें ऐसी नियुक्ति की जाय, तात्कालिक अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तथा ऐसी सभा की

उपस्थिति में दो या अधिक विश्वसनीय साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित ज्ञापन के द्वारा की जायेगी,और ऐसा ज्ञापन भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) के अधीन अनिवार्य रूप से रजिस्ट्री किये जाने योग्य दस्तावेज समझा जायेगा ।

6. सोसाइटियों द्वारा तथा उनके खिलाफ वादः— इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हर एक सोसाइटी ऐसे नाम में,जैसा कि सोसाइटी के नियमों और विनियमों द्वारा अवधारित किया जाय और ऐसे अवधारण के अभाव में,उसके अध्यक्ष या सचिव अथवा न्यासियों के नाम में वाद ला सकेगी अथवा उस पर वाद लाया जा सकेगा।

7. वादों का उपशमन न होगाः— किसी सिविल न्यायालय में किसी वाद या कार्यवाही का इस कारण उपशमन नही होगा या वह बंद नही होगी कि वह व्यक्ति जिसके द्वारा या जिसके खिलाफ, ऐसा वाद या कार्यवाही लाया गया या जारी रखी गई थी,मर गया है या उस हैसियत में कायम नही रह गया है, जिसके नाम सेवह वाद लाया था या उस पर वाद लाया गया था,किन्तु वही वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्ति के उत्तराधिकारी के नाम में या उसके खिलाफ जारी रखी जा सकेगी।

8. सोसाइटी के खिलाफ निर्णय का प्रर्वतनः— (1) यदि सोसाइटी की ओर से किसी व्यक्ति या अधिकारी के खिलाफ कोई निर्णय प्राप्त किया जाता है तो ऐसा निर्णय ऐसे व्यक्ति या अधिकारी की स्थावर या जंगम सम्पत्ति के खिलाफ या वैयक्तिक रूप से उसके खिलाफ प्रवृत्त नही किया जायेगा किन्तु सोसाइटी की सम्पत्ति के खिलाफ प्रवृत्त किया जायेगा ।

(2) निष्पादन के लिए आवेदन में, निर्णय और उस पक्षकार के, जिसके विरूद्ध उसे प्राप्त किया गया हो, केवल सोसाइटी की ओर से यथास्थिति वाद लाने या उसके विरूद्ध वाद लाये जाने की बात उपवर्णित होगी और यह अपेक्षा की जायेगी कि निर्णय को सोसाइटी की सम्पत्ति के खिलाफ,प्रवर्तित कराया जाय।

9. उप विधि के अधीन प्रोद्भूत होने वाली शास्ति की वसूलीः– जब कभी किसी उप विधि द्वारा, जो सोसाइटी के नियमों और विनियमों के अनुसार सम्यक्तः बनाई गई हो या यदि नियम या विनियम उप–विधियां बनाने के लिए उपबंध नही करते है तो किसी ऐसे उप–विधि द्वारा, जो उस प्रयोजन के लिए बुलाये गये सोसाइटी के सदस्यों के साधारण अधिवेशन में वस्तुतः उपस्थित सोसाइटी के सदस्यों के तीन बटा पांच से अन्यून बहुमत द्वारा बनाई गई हो,सोसाइटी के किसी नियम,विनियम य उप–नियम के भंग के लिए कोई धन –सबंधी शास्ति अधिरोपित की जाती है तो ऐसी शास्ति जब प्रोद्भूत हो जायें,किसी ऐसे न्यायालय में वसूल की जा सकेगी जिसकी अधिकारिता उस स्थान में हो जहां प्रतिवादी निवास करता है या वहां हो जहां सोसाइटी स्थित है, जैसा भी सोसाइटी का शासी निकाय समीचीन समझे।

10. सदस्यों का अपने खिलाफ अन्य पक्षकारों के रूप में वाद लाये जाने के दायित्वधीन होनाः–(1) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के ऐसे सदस्य के खिलाफ,जिसकी तरफ कोई चन्दा बकाया हो,जिसे वह सोसाइटी के नियमों और विनियमों के अनुसार संदत्त करनें के लिए आबद्ध है,या जो सोसाइटी की किसी सम्पत्ति पर स्वयं कब्जा या उसका विरोध इस रीति से या

इतने समय तक कर लेता है जो ऐसे नियमों और विनियमों के प्रतिकुल है, या जो सोसाइटी की किसी सम्पत्ति को क्षति पहुॅचाता है या नष्ट करता है,ऐसे बकाया के लिए या सम्पत्ति के ऐसे कब्जे,निरोध क्षति या नाश से प्रोदभूत होने वाले नुकसान के लिए इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीति से,वाद लाया जा सकेगा ।

(2) यदि प्रतिवादी ,सोसाइटी की प्रेरणा पर उप धारा (1) के अधीन लाये गये किसी वाद या कार्यवाही में सफल होता है और उसके पक्ष में खर्चो की वसूली का अधिनिर्णय दिया जाता है तो वह उस अधिकारी से जिसके नाम से वाद या अन्य कार्यवाही की गई थी अथवा सोसाइटी से, उन्हें वसूल करने का निर्वचन कर सकेगा और पश्चात्वर्ती दशा में वह उपर वर्णित रीति से उक्त सोसाइटी की सम्पत्ति के खिलाफ आदेशिका प्राप्त कर सकेगा ।

11. अपराधों के दोषी सदस्यों का अन्य पक्षकारों के रूप में दण्डनीय होनाः– इस अधिनियम के अधीन,रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का कोई सदस्य जो उस सोसाइटी के किसी धन या अन्य सम्पत्ति को चुरायेंगा,हडपेगा या उसका गबन करेगा अथवा किसी सम्पत्ति को जानबूझकर और द्विवेषता से नष्ट करेगा या क्षति पहुचायेगा अथवा किसी विलेख,बंधपत्र, धन की प्रतिभूति, रसीद या अन्य लिखित को कुटरचित करेगा जिससे सोसाइटी की निधियां हानि की जोखिम में पड जायें वैसे ही अभियोजनीय होगा, और यदि सिद्ध दोष हुआ तो वैसी ही रीति से दण्डनीय होगा जैसे ऐसा कोई व्यक्ति जो सोसाइटी का ऐसा सदस्य न हो वैसे ही अपराध की बाबत अभियोजनीय और दण्डनीय होता।

12. सोसाइटियों के प्रयोजनों को परिवर्तित,विस्तारित या न्यून करने अथवा समामेलित करने के लिए समर्थ बनानाः—(1) जब कभी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के जो किसी विशिष्ट प्रयोजन या प्रयोजनों के लिए स्थापित की गई है शासी निकाय को प्रतीत हो कि ऐसे प्रयोजन या प्रयोजनों को इस अधिनियम के अर्थान्तर्गत किसी अन्य प्रयोजन या प्रयोजनों में या उनके लिए परिवर्तित,विस्तारित या न्यून करना या ऐसी सोसाइटी को पूर्णतः या अंशंतः किसी अन्य सोसाइटी के साथ समामेलित करना उयुक्त होगा तब ऐसी शासी निकाय उस प्रस्थापना को लिखित या मुद्रित रिपोर्ट के रूप में सोसाइटी के सदस्यों को निवेदित कर सकेगा तथा सोसाइटी के नियमों और विनियमों के अनुसार उस पर विचार करने के लिए विशेष साधारण अधिवेशन बुला सकेगा ।

(2) ऐसी कोई प्रस्थापना तब तक कार्यान्वित नही की जायेगी जब तक कि ऐसी रिपोर्ट उस पर विचार करने के लिए शासी निकाय द्वारा बुलाये गये साधारण विशेष अधिवेशन से दस दिन पूर्व सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को परिदत्त नहीं कर दी जाती या डाक द्वारा नहीं भेज दी जाती और जब तक ऐसी प्रस्थापना के प्रति सहमति, सदस्यों के दो बटा तीन के मतों द्वारा जो स्वयं या परोक्षी के माध्यम से परिदत्त किये गये हो, नहीं दे दी जाती और पूर्ववर्ती अधिवेशन के पश्चात् एक मास के अन्तराल से शासी निकाय द्वारा बुलाये गये दूसरे विशेष अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों के दो बटा तीन के मतो द्वारा पुष्टि नहीं करदी जाती।

12—क सोसाइटी का नाम परिवर्तनः— इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी अपना नाम तत् प्रयोजनार्थ बुलाये गये विशेष साधारण अधिवेशन में पारित संकल्प द्वारा अपने सदस्यों के दो बटा तीन से अन्यून सदस्यों की सम्मत्ति से सोसाइटी के नियमों और विनियमों के अनुसार तथा धारा 12—ख के उपबन्धों अध्यधीन परिवर्तित कर सकेगी।

12—ख नाम परिवर्तन की सूचनाः—(1) नाम में प्रत्येक परिवर्तन की लिखित सूचना जिस पर सचिव के तथा नाम परिवर्तन करने वाली सोसाइटी के सात सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे,रजिस्ट्रार को,धारा 12—क के अधीन संकल्प पारित होने से पन्द्रह दिन के भीतर भेजी जायेगी ।

(2) रजिस्ट्रार,यदि उसका समाधान हो जाय कि नाम परिवर्तन के बारे में इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन कर दिया गया है,नाम परिवर्तन का रजिस्ट्रीकरण करेगा और उस मामले की परिस्थितियों का समाधान करने के लिए परिवर्तित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(3) नाम परिवर्तन उप—धारा (2) के अधीन प्रमाण पत्र जारी होने पर पूर्ण हो जायेगा और उसके जारी होने की तारीख से प्रभावशील होगा ।

(4) रजिस्ट्रार उप—धारा (2) के अधीन जारी किये गये प्रमाण पत्र की किसी प्रतिलिपि के लिए एक रूपया फीस प्रभारित करेगा और इस प्रकार संदत्त की गई समस्त फीस का लेखा जोखा राज्य सरकार को दिया जायेगा ।

12—ग. नाम परिवर्तन का प्रभावः—इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के नाम परिवर्तन के परिणामस्वरूप उस सोसाइटी के किन्हीं भी अधिकारों अथवा बाध्यताओं पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा और न सोसाइटी द्वारा या

उसके विरूद्ध की गई कोई विधिक कार्यवाही त्रुटियुक्त बनेगी और कोई विधिक कार्यवाही जो उस सोसाइटी द्वारा या उसके विरूद्ध उसके पूर्ववर्ती नाम से चालू रखी जा सकती थी,उस सोसाइटी द्वारा या उसके विरूद्ध उसके नये नाम से चालू रखी जा सकेगी या प्रारंभ की जा सकेगी ।

13 सोसाइटी के विघटन और उनके काम–काज के समायोजन के लिए उपबन्ध :– इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के दो बटा तीन से अन्यून कितने ही सदस्य अवधारित कर सकेंगे कि उसे विघटित कर दिया जाय और तब तक तत्क्षण या तत्समय सहमत समय पर विघटित करदी जायेगी और सोसाइटी की सम्पत्ति और उसके दावों और दायित्वों के निपटारे और व्यवस्थापन के लिए,उसको लागू उस सोसाइटी के नियमों और विनियमों के अनुसार, यदि कोई हों, और यदि कोई न हो तो जैसा शासी निकाय या वह विशेष समिति,जो सोसाइटी के काम काज के परिसमापन पर प्रभाव डालने वाले समस्त मामलों के बारे में शासी निकाय के स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाने के लिए बनाई गई हो,समीचीन समझे उसके अनुसार, सब आवश्यक कार्यवाही की जायेगी:

परन्तु–

(!) उक्त शासी निकाय के व्यवस्थापकों, निदेशकों,प्रवासियों अथवा सदस्यों अथवा यदि वह विशेष समिति द्वारा यथा पूर्वोक्त प्रतिस्थपित करदी गई हो तो उसके सदस्यों अथवा सोसाइटी के सदस्यों के बीच कोई विवाद पैदा होने की दशा में उसमें काम काज का समायोजन, उस जिले के जिसमें सोसाइटी का मुख्य कार्यालय स्थित है, आरम्भिक सिविल अधिकारिता वाले प्रधान न्यायालय को निर्दिष्ट

किया जायेगा, और न्यायालय मामलें में ऐसा आदेश करेगा जैसा वह अपेक्षणीय समझे,

(!!) कोई मामला, जो सासाइटी के या उसके शासी निकाय के या सोसाइटी के काम–काज का परिसमापन करने के प्रयोजनार्थ शासी निकाय के स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाने के लिए बनाई गई किसी विशेष समिति के किसी सोसाइटी या शासी निकाय या विशेष समिति के किसी अधिवेशन में स्वयं या परोक्षी के माध्यम से उपस्थित सदस्यों के दो बटा तीन द्वारा विनिश्चित किया गया हो, खण्ड (!) के अर्थान्तर्गत विवादग्रस्त विषय नही समझा जायेगा,

(!!!) कोई सोसाइटी तब तक विघटित नही की जायेगी जब तक कि सदस्यों में से दो बटा तीन ने ऐसे विघटन के लिए इच्छा से ऐसे विशेष साधारण अधिवेशन में जो उस प्रयोजन के लिए बुलाया गया हो, स्वयं या परोक्षी के माध्यम से परिदत्त अपने मतों से, अभिव्यक्त न कर दी हो,

(!!!!) जब कभी कोई सरकार इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के सदस्य हो या अभिदायकर्ता हो या उसमें अन्यथा हितबद्ध हो तब ऐसी सोसाइटी का विघटन ऐसी सरकार की सम्मति के बिना नही किया जायेगा, और

(!!!!!) इस धारा की कोई बात किसी लिखित में ऐसी सोसाइटी के विघटन के लिए अन्तर्विष्ट किसी उपबन्ध पर प्रभाव डालने वाली नही समझी जायेगी।

14. विघटन पर किसी सदस्य का अधिशेष सम्पत्ति प्राप्त न करनाः– यदि इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के विघटन पर, उसके सब ऋणों और दायित्वों की पुष्टि के पश्चात्, कोई भी सम्पत्ति रह जाय तो वह

उक्त सोसाइटी के सदस्यों या उनमें से किसी को संदत्त या उनको वितरित नही की जायेगी,किन्तु किसी ऐसी अन्य सोसाइटी,चाहे वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या न हो, को दी जायेगी जो विघटन के समय पर स्वयं या परोक्षी के माध्यम से उपस्थित सदस्यों के दो बटा तीन से अन्यून मतों द्वारा या उसके अभाव में ऐसे न्यायालय द्वारा जैसा पूर्वोक्त है, अवधारित की जायेगीः

परन्तु यह धारा किसी ऐसी सोसाइटी को लागू नही होगीजो संयुक्त कंपनी के रूप में शेयर–धारकों के अभिदायों से प्रतिष्ठापित या स्थापित की गई हो :

परन्तु यह और कि इस धारा की कोई बात 13 के अधीन विघटित किसी सोसाइटी की सम्पत्ति के संदाय या वितरण के लिए लिखित में अन्तर्विष्ट किसी उपबन्ध पर प्रभाव डालने वाली नही समझी जायेगी।

14–क अधिशेष सम्पत्ति सरकार को दी जा सकेगीः– धारा 14 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, धारा13 के अधीन विघटित किसी सोसाइटी के सदस्यों के लिए उनकी कुल संख्या के दो बटा तीन के अन्यून मतों द्वारा यह अवधारित कराना विधिपूर्ण होगा कि सोसाइटी के सब ऋणों एवं दायित्वों की तुष्टि के पश्चात् जों कोई भी सम्पत्ति रह जाय वह धारा 1 ख में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में सें किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग किये जाने हेतु राज्य सरकार को दी जायेगी।

15. सोसाइटी के सदस्य की परिभाषाः– इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सोसाइटी का सदस्य ऐसा व्यक्ति होंगा जिसने उसके नियमों और विनियमों के अनुसार उसमें सम्मिलित कर लिए जाने पर चन्दा दे दिया हो या उसके सदस्य की नामावली या सूची में हस्ताक्षर कर दिये हों

और ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार पद त्याग न किया हो या ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी नियुक्ति या चयन ऐसे नियमों औरविनियमों के अनुसार ऐसी सोसाइटी के शासी निकाय के व्यवस्थापक, निदेशक, न्यासी या सदस्य के रूप में हो गया हो किन्तु इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में कोई व्यक्ति, जिसका चन्दा उस समय तीन मास से अधिक का बकाया हो,सदस्य के रूप में मत देने या गिने जाने का हकदार नही होगा ।

16. शासी निकाय की परिभाषाः– परिषद्,समिति या अन्य निकाय(जो व्यवस्थापकों, निदेशकों,न्यासियों या सदस्यों से मिलकर बना हो) जिसकी सोसाइटी के नियमों और विनियमों द्वारा उसके काम–काज का प्रबंध सौंपा गया हो,सोसाइटी के शासी निकाय होंगे।

17. अधिनियम के पूर्व बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत नही हुई सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरणः– (1) धारा 1–ख में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए स्थापित और गठित कोई सोसाइटी और धारा 20 में वर्णित प्रकार की अधिनियम के पारित होने से पूर्व इस प्रकार स्थापित और गठित धारा 21 द्वारा निरसित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत न हुई सोसाइटी,एतद् पश्चात् सोसाइटी के रूप में किसी भी समय इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन और अनुसार रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी।

(2) ऐसी किसी सोसाइटी की दशा में यदि सोसाइटी की स्थापना पर ऐसा कोई शासी निकाय गठित न किया गया हो तो उसके सदस्यों के लिए यह सक्षम होगा कि वे सम्यक् सूचना पर ,तब से सोसाइटी के लिए कार्य करने के लिए एक शासी निकाय बना लें।

18. कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण से इन्कार करने की रजिस्ट्रार की शक्तिः—(1) रजिस्ट्रार—

(क) किसी सोसाइटी की धारा 3 के अधीन,या

(ख) धारा 12—क के अधीन किये गये नाम परिवर्तन का,या

(ग) किसी सोसाइटी का धारा 17 के अधीन, रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार करेगा,

यदि ऐसी सोसाइटी का प्रतिस्थापित नाम उस नाम के समरूप है जिसे किसी अन्य विद्यमान सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण किया गया,अथवा रजिस्ट्रार की राय में ऐसे किसी अन्य नाम से इतना सदृश्य है कि उससे जनता या दोनो में से किसी सोसाइटी के सदस्यों का प्रवंचित हो जाना संभाव्य है।

(2) उप धारा (1) के उपबन्ध धारा 21 की उप धारा (2) में निर्दिष्ट सोसाइटियों पर और उस धारा की उप धारा (3) में निर्दिष्ट नाम परिवर्तन पर लागू होंगे और यदि धारा 21 की उप धारा (1) द्वारा निरसित विधियों के अधीन कोई दो या अधिक सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण समरूप नामों से या ऐसे नामों से जो रजिस्ट्रार की राय में में एक दूसरे से इतने सदृश्य है कि उनसे जनता या ऐसी सोसाइटियों के सदस्यों का प्रंवचित हो जाना संभाव्य है,किया गया है तो वह सोसाइटी जो सर्वप्रथम इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत की गई थी अपने मूल नाम से काम करना चालू रखेगीऔर ऐसी अन्य सोसाइटियां अधिनियम के प्रारम्भ से छः मास की कालावधि के भीतर अपने नाम यथोचित रूप से बदल लेगी और उनसे अपने नाम बदल लेने की रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षा की जा सकेगी।

19. दस्तावेजो का निरीक्षण तथा उनकी प्रमाणित प्रतियांः— कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार के पास

दाखिल की गई सब दस्तावेजों का निरीक्षण, हर निरीक्षण के लिए एक रूपये की फीस देकर कर सकेगा और कोई भी व्यक्ति किसी दस्तावेज या किसी दस्तावेज के किसी भाग की नकल या उद्धरण का रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित किया जाना,ऐसी नकल या उद्धरण के हर सौ शब्दों के लिए पच्चीस पैसे देकर अपेक्षित कर सकेगा और ऐसी प्रमाणित प्रति सभी विधि कार्यवाहियों में उसमें अन्तर्विष्ट विषयों का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगी ।

20. सोसाइटियां जिनका रजिस्ट्रीकरण या इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगाः—इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित सोसाइटियों की रजिस्ट्री की जा सकेगी, अर्थात्ः—

पूर्व प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियां, सैनिक अनाथ निधियां, (खादी और ग्रामोद्योग), साहित्य,विज्ञान या ललित—कलाओं की प्रोन्नति के लिये स्थापित सोसाइटियां, शिक्षण या उपयोगी जानकारी अथवा राजनैतिक शिक्षा के प्रसार के लिये स्थापित सोसाइटियां सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिये या जनता के लिये खुले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण और रंगचित्रों और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों के लिए स्थापित सोसाइटियां प्राकृतिक इतिहास के संकलनों और यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, लिखितों या अभिकल्पनाओं के लिये स्थापित सोसाइटियां ।

21. निरसन और व्यावृतिः— (1) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 21)जैसा कि 1950 के राजस्थान अध्यादेश 4 के द्वारा पुनर्गठन राजस्थान राज्य के लिए अनुकूलित किया गया और सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण सबंधी समस्त विधिया जो

राज्य के किसी भाग में प्रवृत्त हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर निरसित हो जायेंगी।

(2) उप धारा (1) में वर्णित विधियों में से किसी भी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत समस्त सोसाइटियां यदि वे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की जा सकती है तो तद्धीन रजिस्ट्रीकृत की हुई समझी जायेंगी ।

(3) ऐसी सोसाइटियां जो उप धारा (2) में निर्दिष्ट है, के नामों में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व कियेगये समस्त परिवर्तन इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेगें:

परन्तु यदि ऐसा परिवर्तन धारा 12 –ख के अनुसार रजिस्ट्रीकृत नही हुआ है या उसकी प्राप्ति में कोई प्रमाणपत्र जारी नही किया गया है तो इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन मास के भीतर इस निमित्त रजिस्ट्रार को आवेदन पत्र देने पर उस धारा के अधीन ऐसा रजिस्ट्रीकरण किया जायेगा और प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा ।

(4) उप धारा (1) में वर्णित विधियों के अधीन की गई अन्य समस्त कार्यवाहियां या दिये गये आदेश जब तक कि वे इस अधिनियम के के उपबन्धों के विरूद्ध या असंगत न हो, इस अधिनियम के की गई या दी गई यथा स्थिति समझी जायेगी।

(5) यदि इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की हुई समझी गयी किसी सोसाइटी की दशा में धारा 4–क में विनिर्दिष्ट प्रकार की कोई कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व नही की गई है तो ऐसी कार्यवाही ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् तीन मास के भीतर सर्व प्रथम और तत्पश्चात् उस धारा के अनुसार की जायेगी और ऐसा करने में असफल रहने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति धारा 4–ख के अधीन दायी होगा ।

परिशिष्ट 1

आवेदन करने पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें

1 यह आदर्श विधान(नियमावली) व संघ विधान पत्र केवल मार्गदर्शन के लिए है। संस्था के उद्धेश्यों व कार्यक्षेत्र के अनुसार इसके अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है,लेकिन ऐसा परिवर्तन अधिनियम,1958 के अर्न्तगत ही मान्य होगा।

2. प्रबन्धकारिणी में सृजित पद संस्था के अनुरूप घटाये या बढाये जा सकते है। पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते है।

3. संस्था के उद्धेश्य अधिनियम,1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होना आवश्यक है। सुविधा के लिये क्रमांक 9 पर धारा 20 अंकित है।

4. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा ही की जानी है।

5. प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन–तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।

6. संघ विधान पत्र में क्रम संख्या 4 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित करना है तथा क्रम संख्या 6 पर उनके व अन्य सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाये जावे। यह भी ध्यान रखे कि कम से कम 7 सदस्यों की प्रबन्धकारिणी पर ही संस्था पंजीकृत की जावेगी। जिसमें कम से कम 15 आवेदक सदस्यों का होना अनिवार्य है।

7. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साथियों के हस्ताक्षर करावें। साक्षीगण संस्था के सदस्य नहीं होने चाहियें।

8. अनाश्यक को काटकर लघु हस्ताक्षर करें।

9. धारा 20–सोसाइटियां जिनका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगाः इस अधिनियम के अधीन

निम्नलिखित सोसाइटियों की रजिस्ट्री की जा सकेगी अर्थातः–पूर्व प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियां, सैनिक अनाथ निधियां (खादी और ग्रामोद्योग), साहित्य, विज्ञान या ललित कलाओं की प्रोननति के लिये स्थापित सोसाइटियां, शिक्षण या उपयोगी जानकारी अथ्वा राजनैतिक शिक्षा के प्रसार के लिये स्थापित सोसाइटियां सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिये या जनता के लिये खुले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण और रंगचित्रों और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों के लिए स्थापित सोसाइटियां, प्राकृतिक इतिहास के संकलनों और यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों,लिखितों या अभिकल्पनाओं के लिये स्थापित सोसाइटियां ।

10. राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अर्न्तगत रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित आवेदन प्र–पत्र प्रारूप प्राप्त कर उसमें दिये गये निर्देशों की पूर्ति करते हुए विधान पत्र एवं विधान नियमावली के अनुसार ही प्रस्तुत किये जावें।

11. आवेदन पत्र के साथ अध्यक्ष,मन्त्री एवं कोषाध्यक्ष के राशनकार्ड की फोटो कापी/स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र एवं संलग्न निधारित प्रारूपानुसार रूपयें 10/– के स्टाम्प पर उक्त तीन अधिकृत पदाधिकारियों की ओर से शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जावे।

12. आवेदन पत्र अधिकृत पदाधिकारियों के द्वारा ही प्रस्तुत किया जावें। अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार्य नही होगा।

13. आवेदन पत्र नोटरी पब्लिक तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये तथा शपथ पत्र नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित होना चाहियें।

14. ग्राम, मोहल्ला,कालोनी,विकास समितियों,नवयुवक मण्डल के पंजीयन हेतु आवेदित प्रार्थना पत्र में कार्यक्षेत्र के 60 प्रतिशत निवासी आवेदक सदस्य होने चाहियें।

15. शहरी क्षेत्र से आवेदित प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय विधायक अथवा पार्षद के अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जावे।ग्रामीण क्षेत्र से आवेदित प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय विधायक,ग्राम पंचायत अथवा विकास अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जावें।

16. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा पंजीयन हेतु पत्रावली(फाईल) के रूप में पत्र प्राप्ति शाखा में प्रस्तुत की जावें।

17. पंजीकृत संस्था के मूल पंजीयन पत्रादि अधिकृत पदाधिकारी/शपथ पत्र परहस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारियों को देय होंगे।

18 शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबन्धकारिणी सदस्यों में से कम से कम तीन व्यक्ति शिक्षण कार्य अनुभव वाले होने चाहियें।

19. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबन्धकारिणी सदस्यों में से एक सदस्य बी.एड एवं दो सदस्य ग्रैजूएट आवश्यक है।

20. अन्य संस्थायें जिनके द्वारा शिक्षण,तकनीकी या अन्य कार्य जिसका की प्रशिक्षण दिया जाना है योग्यता या अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।

21. एक परिवार से एक व्यक्ति को प्रबन्धकारिणी में शामिल किया जाना चाहियें । ''परिवार'' से तात्पर्य ऐसे किसी परिवार से है जिसमें पति और पत्नि,उनके बच्चे और बच्चों के बच्चे

जो उस पर आश्रित हो तथा पति की विधवा मां जो पूर्ण रूपेण आश्रित हो।

22. नई संस्था के आवेदन प्रपत्र केवल सोमवार/मंगलवार को ही कार्यालय समय में जमा करवाये जा सकेगे।

23. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन के सात दिवस के बाद कभी भी कार्यालय दिवस को संस्था शाखा प्रभारी से सम्पर्क कर पंजीयन की चालू प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते है।

परिशिष्ट ।।

धर्मार्थ सोसाइटी के आदर्श लक्ष्य और उद्धेश्य

सोसाइटी के लक्ष्य और उद्धेश्य निम्न प्रकार हैः–

(क) सोसाइटी का गठन,जाति,वंश या धर्म का कोई भी भेदभाव किये बिना,हर उम्र के व्यस्क और बच्चों के आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक विकास की अभिवृद्धि और उत्थान के लिए और मानव जाति के हित में किया जाता है।

(ख) शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, शैक्षिक विकास, बुद्धिमता के उत्थान या इसके विकास के लिए,किसी भी संस्था या विद्यालय या संघ को सहायता देना या स्थापित करना, अधिकार में लेना या सहयोग करना।

(ग) अपराध,औषध–दुरूपयोग की समस्याओं के समाधान के लिए किसी भी श्रव्य–दृश्य प्रणाली का प्रचार करना, उसकी शिक्षा देना या उसे अस्वीकार करना और ऐसे व्यवहार के अपनाने में सहयोग करना, जो व्यक्ति के परिवार के सदस्यों में या साधारणतया मानव जाति में उसकी हैसियत,जाति और धर्म के आरक्षण के बिना,खुशियॉ लायेगा।

(घ) किसी भी कला , विज्ञान या शिक्षा के अन्य किसी भी क्षेत्र में शिक्षा देने या उसकी अभिवृद्धि करने के लिए किसी भी संस्था को सहायता देना स्थापित करना या उपाय करना, सामाजिक बुराइयों,रूढियों को दूर करने के लिए प्रचार करना, इनमें से किन्ही भी बुराइयों परविजय पाने के लिए विशेष रूप से भारत में या विदेश में समाज के निर्धन या कमजोर वर्गो के लिए, स्व–सहायता देना या उसकी अभिवृद्धि करना।

(ड.) धार्मिक पूजा,अर्चना या ज्ञान के लिए या किसी भी समुदाय या समाज के अनाथों के कल्याण,भरण–पोषण और विकास के लिए कोई गृह,संस्था या समाज की स्थापना करना ।

(च) प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हुए व्यक्तियों के कल्याण के लिए और/या किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति या व्यक्तियों के भोजन और आश्रय स्थल का समय–समय पर प्रबन्ध करने के लिए किसी संस्था या समाज की स्थापना करना।

(छ) निम्नलिखित के संकलन,मुद्रण और प्रकाशन का कार्य हाथ में लेनाः–

(1) आम नागरिक के आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक उत्थान के लिए दैनिक प्रार्थनाओं हेतु साधारण प्रार्थनाएं।

(2) मानव जीवन के मूल नैतिक आचारों और मूल्यों को स्पष्ट करते हुए नैतिक उत्थान हेतु साधारण पुस्तिकाएं।

(3) विद्यालय जाने वाले बच्चो के लिए नैतिक और आध्यात्मिक अनुदेशों के लिए उपयुक्त पुस्तके जिनमें सामान्य विज्ञान, आदर्श व्यक्तियों, संतों और अन्य प्रख्यात व्यक्तियों के जीवन को दर्शाने वाली कहानियॉ हों।

(ज) शारीरिक खेलों की प्रतियोगिताओं और शैक्षिक `प्रतियोगिताओं के पुरस्कार देना और जरूरतमंदों के लिए

छात्रवृत्तियां प्रदान करना और निर्धन एवं जरूरतमंद बच्चों या व्यक्तियों के उत्थान के लिए साधन जुटाना और नैतिक अनुशासन पैदा करना।

(झ) ऐसे जरूरतमंद व्यक्तियों, को अन्यथा असक्षम है या विकलांग है या मानसिक या शारीरिक रूप से कमजोर है, के जीवनदान के लिए दवाइयों और अन्य सहायता और निर्धन वर्ग के किसी भी व्यक्ति के वित्तीय उत्थान और प्रबन्ध करना।

(य) किसी भी अविवाहित लडकी या लडके,विधवा या विधुर के जीवन के उत्थान के लिए समय समय पर सामाजिक,नैतिक और वित्तीय सहायता देना।

(ट) ऐसे ऐतिहासिक या विश्वभर में माने हुए धार्मिक स्थान या स्थानों पर आने जाने के लिए किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों की यात्रा का प्रबन्ध करना या सवारी उपलब्ध करवाना जो ज्ञान का प्रदान करें या उसमेंवृद्धि करें और/या जो मानसिक असंतोष का निवारण करने या उसे कम करने में सहयोगी हो और जो उत्तम और सुखी जीवन जीने को प्रोत्साहित करे, आध्यात्मिक भावना भरे।

(ठ) ऐसे व्यक्तियों के, जो स्वयं के लिए खाना बनाने के, खाने के और अन्य बर्तनों यापहनने के वस्त्रों की आवश्यकता के समय व्यवस्था करने में किसी भी कारण से अक्षम हो, लिये या उनकेपरिवारों के लिये ऐसे बर्तनों और वस्त्रों की अस्थायी रूप से या समय समय पर विशेष अवसरों पर दैनिक आवश्यकताओं के लिए निःशुल्क या नाम मात्र का शुल्क लेकर व्यवस्था करना ।

(ड) सोसाइटी के सदस्यों या अन्य व्यक्तियों से दान ग्रहण करना या अभिदान लेना,सोसाइटी की आय का स्त्रोत बढाने के लिए सोसाइटी की निधियों का, ऐसे निबंधनों

और शर्तो पर जो सोसाइटी के लक्ष्यों और उद्धेश्यों की पूर्ति के लिए और इसके उपर उल्लिखित हित की अभिवृद्धि के लिए समुचित और आवश्यक समझी जाएं, व्यष्टियों,सोसाइटियों,फर्मो या कम्पनियों में विनिधान करना।

(ढ) लोगों के नैतिक स्तर में सुधार करने,सभी सहनीय धर्मो के प्रति आदर और जाति,रंग वंश या धर्म का भेदभाव किये बिना मनुष्य मनुष्य के बीच सौहादपूर्ण भावना की अभिवृद्धि करने के लिए सभी क्रियाकलापों की व्यवस्था करना ।

(ण) आध्यात्मिक अध्ययन की अभिवृद्धि करना और आम लोगों के लिए आध्यात्मिक प्रशिक्षण और योग केन्द्र खोलना।

(त) उन क्षेत्रों में, जो अकाल, आग, बाढ, भूकम्प आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त हैं या हो गये है,सहायता उपाय प्रारम्भ करना,बनाये रखना और सहयोग करना।

(थ) आम लोगों के उपयोग और सुविधा के लिए पुस्तकालय,वाचनालय स्थापित करना और उनको बनाये रखना।

(द) उच्चतर और उत्तम शिक्षा के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों आदि में पुरस्कार, पदक और ऐसी ही अन्य चीजे देना।

(ध) अशक्त और अंधे व्यक्तियों का मासिक भत्ते या उपदानों के रूप में आर्थिक सहयोग करना ।

(न) सभी धर्मो और समुदायों के निर्धन,त्यक्त,विधवाओं और निराश्रितों की सहायता करने के लिए कुष्ठ–रोगी आश्रयस्थलों और अन्य संस्थाएॅ खोलना,स्थापित करना, उनको बनाये रखना और सहयोग करना।

(य) भरण पोषण के लिए अध्ययनवृत्तियॉ,भत्ते या उपादान निरन्तर या अस्थायी ऐसे समय के लिए जो उचित और आवश्यक समझा जाये,देना।

(र) ऐसा कोई अन्य कार्य या चीज करना जो उपर बताये गये उद्धेश्यों में से किसी को भी सहयोगी हो।

(ल) राष्ट्रीय, सास्कृतिक, सामाजिक और ऐसे त्यौहारों और जयन्तियों,जो इस उद्धेश्य के पूरक हो,के अभियोजनों के लिए सहायता करना,उनका इन्तजाम करना और प्रोत्साहित और प्रोन्नत करना। परन्तु सदस्यों द्वारा किसी भी ऐसे अन्य न्यास,सोसाइटी या परियोजना में जिनका एक उद्धेश्य पूर्वोक्त उद्धेश्यों में से कोई हो, कोई भी अंशदान करने या सहयोग करने का अभिप्राय इस सोसाइटी के उद्धेश्यों के अग्रसर करना होगा ।

परिशिष्ट ।।।

सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किसी अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र का आदर्श संगम–ज्ञापन

सोसाइटी के निम्न लिखित उद्धेश्य होगें:–

1.चिकित्सा विज्ञान के सभी क्षेत्रों और चिकित्सकीय उपचार की सभी पद्धतियों के अनुसंधान और विकास में लगकर चिकित्सा अनुसंधान करना ताकि उत्तम तरीके से चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सके।

2. क्षेत्र के समुदाय की सामाजिक चिकित्सीय और सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं के ध्यान में रखते हुए,चिकित्सा और शल्य चिकित्सा सबंधी ज्ञान की सभी प्रणालियों और विधाओं में, मूल या अनुयोजी अनुसंधान करने के लिए अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करना ।

3. चिकित्सा और शल्य चिकित्सा सबंधी ज्ञान की सभी विधाओं में अनुसंधान संस्थानों की स्थापना करना और अधिकार लेना और अन्यथा संचालन करना ।

4. विशेष औषधीय पौधों के जीव विज्ञान और फार्मालोजी सबंधी मानकीकरण को प्रोत्साहित और विकसित करना ।

5. रोगों और व्याधियों के नये चिकित्सीय और/शल्य–क्रिया सम्बन्धी प्रबन्ध की खोज को प्रोत्साहित करना और उक्त क्षेत्र में अनुसंधान करना और अनुसंधानों, अन्वेषणों और निष्कर्षो की प्रकृति और गुणों की जानकारी देना और किसी भी खोज, अन्वेषणों, निष्कर्षो या अनुसंधानों के परिणामों से सबंधित किसी भी पेटेंट और अनुज्ञप्तियों या अन्य सरंक्षित युक्तियों को अर्जित करना और किन्हीं भी प्रक्रियाओं को ऐसे निबन्धनों पर अर्जित करना ताकि विकसित, खोजे गये या सुधारे गये उत्पाद को धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए विनिर्माण और संवितरण किया जा सके।

6. रोगो के निदान,समझ सकने और निवारण और उपचार की नयी पद्धतियों की खोज,सुधार, या विकास के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना,प्रोत्साहित करना,शुरूआत करना या उनको प्रोन्नत करना ।

7. प्रयोग और चिकित्सीय अनुसंधान करवाना और करना ।

8. किसी भी सदस्य का सोसाइटी की किसी भी सम्पत्ति पर कोई व्यक्तिगत दावा नही होगा और अपनी सदस्यता से कोई लाभ नही होगा।सोसाइटी की आय और सम्पत्ति केवल इसके उद्धेश्यों की प्रोन्नति में लगायी जायेगी और किसी भी भाग का सोसाइटी के किन्ही भी सदस्यों या किसी भी सदस्य या सदस्यों के माध्यम से दावा करने वाले किन्हीं भी व्यक्तियों को किसी भी रीति से भुगतान या अन्तरण नही किया जायेगा।

परिशिष्ट– 4

किसी व्यापार संघ का आदर्श ज्ञापन

1.सोसाइटी के उद्धेश्य निम्नलिखित होंगे:–

1 व्यापार और व्यापारियों का विकास सुनिश्चित करना ताकि सभी व्यापारियों और उनके अपने–अपने संगठनों के बीच में संघ के माध्यम से उत्तम समझ,सांमजस्य और एकता स्थापित हो सके।

2 सदस्यों को प्रभावित करने वाले मामलों पर सभी सूचना एकत्रित और प्राप्त करना, व्यापार तथा व्यापारियों के हित में, उनके संरक्षण के लिए और भलाई के लिए विभिन्न प्राधिकारियों को प्रतिवेदन देना और किसी भी प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होना और इन मामलों और अन्य मामलों को प्रकाशित करना और सदस्यों तथा अन्यों को संवितरित करना।

3. वाणिज्यिक लेन–देनों से उत्पन्न अपने विवादों को आपस में या अन्यों के साथ तय करने में संघ के सदस्यों की सहायता करना और पंचों की सूची बनाना और निर्णयों को लागू करवाना।

4. सभी विषयों के बारे में सरकारी, स्थानीय और लोक प्रतिनिधियों, अन्य व्यापार संघों, भारत और अन्य देशों के चेम्बर्स ऑफ ट्रेड कॉमर्स और अन्य व्यक्तियों के साथ सूचना का आदान प्रदान करना ।

5. व्यापारिक प्रथाओं और रूढियों के मामलों में निर्देश प्राप्त करना और निर्णीत करना ।

6. व्यापार की अभिवृद्धि के लिए अनुसंधान करवाना, सेमीनारों और सम्मेलनों का आयोजन करना, प्रदर्शनियां, प्रदर्शन और अन्य क्रियाकलापों को प्रोन्नत करना और पुस्तकालयों, शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थाओं की स्थापना

करना और उनका रख रखाव करना,चार्ट केटलोग, निर्देशिकाएं, सावधिक पत्र, पन्ने, आंकडे, मेगजीनें, पत्रिकाएं, पुस्तके और अन्य प्रकाशन प्रकाशित करवाना और उनको संवितरित करना ।

7. संघ के क्रियाकलापों को चलाने के लिए निधियॉ सृजित करना।

8. संघ के सदस्यों में से प्रतिनिधि मण्डल,सर्वेक्षण और/या अध्ययन दल बनाकर व्यापारियों को शिक्षित करना ।

9. व्यापारियों के वैध अधिकारों,हित और कार्य के संरक्षण के लिए ऐसे किसी भी कदम, विधायन,करारोपण या अन्य सम्बन्धित उपाय,अधिरोपण या अधिनियमिति के लिए प्रतिवेदन देने, प्रतिवाद करने और समर्थन/विरोध करने हेतु विधिक कार्यवाही सहित समर्थन करना और/या विरोध करना और आवश्यक सभी और हर कार्यवाही करना ।

10. संघ के उद्धेश्यों के हित में क्रय, दान, भेंट या किसी भी अन्य प्रकार से चल और/या अचल सम्पत्यिॉ, अधिकार, हित और स्वत्व अर्जित करना और उनका प्रबन्ध करना।

11. श्रम कल्याण के लिए अंशदान करना, उसका समर्थन करना या संगठन करना।

12. सदस्यों के हित में और उनके कल्याण के लिए सामुदायिक सेवा परियोजनाएं संगठित करना,उनके लिए अंशदान करना और उनको हाथ में लेना ।

13सदस्यों और उनके परिवारों के फायदे के लिए संस्थान बनाना और कोई अस्पताल या चिकित्सालय का निमार्ण करवाना और उनका रख रखाव करना ।

14 ऐसी सभी बाते करना जो उक्त उद्धेश्यों या उनमें से किसी को भी प्राप्त करने में आनुषंगिक या सहायक हो ।

15 संघ की आय और सम्पत्ति केवल मात्र संघ के उद्धेश्यों को प्रोन्नत करने में लगायी जायेगी और उसके किसी भी भाग का लाभांश,बोनस के रूप में या अन्यथा संघ के सदस्यों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भुगतान या अन्तरण नही किया जायेगा। परन्तु इसमें लिखी कोई भी बात संघ के किसी कर्मचारी को उसके द्वारा संघ को दी गयी सेवाओं के बदले में पारिश्रमिक के रूप में सद्भावनापूर्वक भुगतान करने या उधार लिये गये धन पर उपयुक्त दर पर ब्याज का भुगतान करने या संघ के कार्य के सबंध में खर्च करने के लिए सशक्त किसी भी सदस्य या अन्य व्यक्ति द्वारा किये गये खर्च का भुगतान करने से नही रोकेगी।

परिशिष्ट 5

निवासी कल्याण सोसाइटी के आदर्श लक्ष्य और उद्धेश्य

सोसाइटी के लक्ष्य और उद्धेश्य निम्नलिखित होंगेः—

1 सोसाइटी के सदस्यों के बीच और आम जनता के बीच भी भाईचारा, सहकारिता, परस्पर सद्भाव, प्यार और लगाव की भावना पैदा करना।

2 सामाजिक न्याय,विधिक मांगे उठाने हेतु शैक्षिक और आर्थिक उत्थान,भारत के संविधान में उपबंधित मूल अधिकारों पर सेमीनार आयोजित करना ।

3 विभिन्न सामुदायिक विकास कार्यक्रमों/क्रियाकलापों को प्रारम्भ करना, स्थापित करना, प्रौन्नत करना/सहायता करना और आम जनता के उपयोग और कल्याण के लिए सामुदायिक हालों, शौचालयों, पूर्त चिकित्सालयों,पुस्तकालयों और अन्य भवनों, संस्थाओं का निमार्ण करना और विकास करना ।

4 सडकों खडंजों,पार्को, मल निकास नालियों आदि को स्थापित करना,उनका रख —रखाव करना, उनको स्थापित

करने तथा रख रखाव करने के लिए आर्थिक सहायता देना।

5 दहेज प्रथा,विभिन्न समारोहों में धन के अपव्यय,मादक औषध के उपयोग, बाल विवाह और बाल श्रम आदि जैसी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए प्रभावी किन्तु युक्तियुक्त और विधिपूर्ण कदम उठाना।

6 सोसाइटी के सदस्यों या आम जनता से सबंधित समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी, युक्तियुक्त और विधिपूर्ण कदम उठाना।

7 आम जनता के और जनहित के लिए अधिकारों की सुरक्षा हेतु समय समय पर, जब सोसाइटी उचित समझे,सक्षम न्यायालयों में मामला ले जाना।

8. सोसाइटी के लक्ष्यों और उद्धेश्यों को प्राप्त करने के लिए दान, अनुदान,उपहार,भेंट और चल और/या अचल सम्पत्ति के रूप में अन्य चीजें स्वीकार करना।

9 सोसाइटी के लक्ष्यों और उद्धेश्यों के उत्थान और पूर्ति के लिए सोसाइटी के नाम से भूमि और/या भवन क्रय/ अर्जित करना।

10. ऐसी अन्य बातें/कार्य/क्रियाकलाप करना जो आवश्यक हों और सोसाइटी के किसी भी उद्धेश्य को पूरा करने के लिए आनुषंगिक या सहयोगी हो।

11. सोसाइटी की सम्पूर्ण आय, अर्जन, चल/अचल सम्पत्तियॉ केवल सोसाइटी के ज्ञापन मेंदिये गये लक्ष्यों और उद्धेश्यों की प्रोन्नति में प्रयुक्त की जायेंगी और उसके किसी भी लाभ का, सोसाइटी के वर्तमान या भूतपूर्व सदस्यों या किसी एक एकाधिक वर्तमान या भूतपूर्व सदस्यों के माध्यम से मांग करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभांश, बोनस, लाभ या

किसी भी रीति से भुगतान या अन्तरण नही किया जायेगा। सोसाइटी के किसी भी सदस्य का सोसाइटी की किसी भी चल या अचल सम्पत्ति पर कोई व्यक्तिगत दावा नही रहेगा या वह इस सदस्यता के कारण कोई भी लाभ नही कमायेंगा।

परिशिष्ट 6

शैक्षिक सोसाइटी के आदर्श लक्ष्य और उद्धेश्य

सोसाइटी के लक्ष्य और उद्धेश्य निम्नलिखित होंगेः–

1 बच्चों का ठोस पूर्व प्राथमिक,प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, सीनियर उच्च माध्यमिक उच्च माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा देने के उद्धेश्य से, मान्यता लेकर विद्यालय प्रारम्भ करना, स्थापित करना, चलाना, अधिकार में लेना या प्रबन्ध करना और रख रखाव करना।

2 टंकण, शीघ्रलिपि,कम्प्यूटर, फाइन आर्ट,शिल्प, संगीत,पेटिंग, मॉडलिंग, नृत्य, योग, शारीरिक शिक्षा और अन्य वृत्तिक प्रशिक्षण विषयों में प्रशिक्षण संस्थानों का इंतजाम करना और प्रबंध करना।

3 शिक्षा और शिक्षा से सबंधित विभिन्न विषयों पर अन्य विधाओं में अनुसंधान करवाना।

4 जागरूकता कार्यक्रमों, प्रौढ शिक्षा कक्षाओं, व्याख्यानों, निबंध प्रतियोगिताओं, प्रदर्शनियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रेस सम्मेलनों और सेमीनारों द्वारा साक्षरता,सांस्कृतिक और अन्य सामाजिक गतिविधियों को प्रोन्नत करना।

5. छात्रों और सोसाइटी के अन्य सदस्यों को भोजन,वस्त्र, चिकित्सा सहायता, वेतन सामग्री, परिवहन,पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, वाचनालय, छात्रावास, खेल मैदान, तरणताल और अन्य संभव सुविधाएं उपलब्ध कराना ।

6. सोसाइटी के कार्य और लक्ष्यों और उद्धेश्यों को अग्रसर करने के लिए समुचित कर्मचारी, कर्मकार, विधि विशेषज्ञ और अन्य विशेषज्ञों, वकीलों, प्रबन्धकों और ऐजेन्टों काम में लगाना, नियोजित करना या किराये पर लेना और उनकी मजदूरी,वेतन, अध्ययनवृत्ति या फीस का भुगतान करना।

7. विभिन्न प्रकार के बाल कल्याण कार्यक्रमों एवं कियाकलापों का इंतजाम करना और संचालन करना ।

8. सोसाइटी के नाम से भूमि या भवन का कय/अर्जन करना और उस पर निमार्ण करना।

9. ऐसी अन्य बातें/कार्य/ कियाकलाप करना जो आवश्यक हो और सोसाइटी के किसी भी उद्धेश्य को पूरा करने के लिए आनुषंगिक या सहयोगी हों।

10. सभी कियाकलाप अलाभकारी होंगे और '' कोई लाभ हानि नही'' आधार पर किये जाएंगे।

11. सोसाइटी की सम्पूर्ण आय,अर्जन, चल/अचल सम्पत्तियां केवल सोसाइटी के ज्ञापन में दिये गये लक्ष्यों और उद्धेश्यों की प्रोन्नति में प्रयुक्त की जायेगी और लगायी जायेंगी और उसके किसी भी लाभ का,सोसाइटी के वर्तमान या भूतपूर्व सदस्यों या किसी एक या एकाधिक वर्तमान या भूतपूर्व सदस्यों के माध्यम से मांग करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभांश, बोनस, लाभ या किसी भी रीति से भुगतान या अन्तरण नही किया जायेगा। सोसाइटी के किसी भी सदस्य का सोसाइटी की किसी भी चल या अचल सम्पत्ति पर कोई व्यक्तिगत दावा नही रहेंगा या वह इस सदस्यता के कारण कोई लाभ नही कमायेगा।

परिशिष्ट 7

हिन्दू धार्मिक सोसाइटी के आदर्श लक्ष्य और उद्धेश्य

सोसाइटी के निम्नलिखित लक्ष्य और उद्धेश्य होंगेः–

1. सोसाइटी के सदस्यों के बीच और आम जनता के बीच भी भाईचारा, सहकारिता, परस्पर सदभाव, प्यार और लगाव की भावना पैदा करना।
2. आश्रम, धर्मशालाएं, मंदिर, स्तूप और अन्य धार्मिक संस्थान खडे करना,निर्मित करना,परिवर्तित करना, उनका रख रखाव करना,उनमें सुधार करना, उनका विकास करना, प्रबंध और नियंत्रण करना।
3. उन धार्मिक संस्थाओं,मंदिरों में, जो इस सोसाइटी के प्रबन्ध के अधीन है,आघ्यात्मिक वातावरण का सृजन करना और देवताओं के लिए सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाओं और पूजा सामग्रियों की भी व्यवस्था करना।
4. समय समय पर जब सोसाइटी का प्रबंध मण्डल तय करे,संकीर्तन, जागरण,सत्संग, रामलीला, कृष्णलीला, रामचरित मानस पाठ, शिवरात्री और ऐसे ही अन्य समारोहों जैसे त्यौहारों और धार्मिक समारोंहों का आयोजन करना।
5. इस प्रयोजन के लिए सोसाइटी के प्रबंध मण्डल की बुलाई गई बैठक में समयसमय पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा जब भी निर्णय किया जायें, विभिन्न अवसरों पर 'भण्डार' के इंतजाम और आयोजन करना।
6. त्यौहार, धार्मिक समारोहों और मेले आदि के समय, सबंधित अधिकारियों से आज्ञा लेकर, आम जनता के उपयोग के लिए आश्रय स्थलों को स्थापित करना, उनका रख रखाव करना, प्रबन्ध करना और नियंत्रण करना तथा उन समारोहों में सफाई और सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम प्रयास करना।

7. सोसाइटी के लक्ष्य और उद्धेश्यों को प्राप्त करने के लिए दान, अनुदान, उपहार भेट और चल और/या अचल सम्पत्तियों के रूप में अन्य चीजें स्वीकार करना।

8. उक्त सोसाइटी की सम्पूर्ण सम्पत्ति या भवन या उसके किसी भाग को खडा करना, निमार्ण करना, परिवर्तित करना,रख–रखाव करना, विक्रय करना, पट्टे पर देना, बन्धक रखना,अनरित करना, सुधार करना,विकसित करना,उसका प्रबंध या नियंत्रण करना,जैसा कि सोसाइटी के लक्ष्यों और उद्धेयों को पूरा करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक और सुविधाजनक प्रतीत हो ।

9. सोसाइटी के लक्ष्यों और उद्धेश्यों के उत्थान और पूर्ति के लिए सोसाइटी के नाम से भूमि और/या भवन क्रय/अर्जित करना।

10. ऐसी अन्य बातें/कार्य/क्रियाकलाप करना जो आवश्यक हो और सोसाइटी के किसी भी उद्धेश्य को पूरा करने के लिएअनुषंगिक और सहयोगी हो।

11. सोसाइटी के सम्पूर्ण आय, अर्जन, चल/या अचल सम्पत्तियॉ केवल सोसाइटी के ज्ञापन में दिये गये लक्ष्यों और उद्धेश्यों की प्रोन्नति में प्रयुक्त की जायेगी और लगायी जायेगी और उसके किसी भी लाभ का, सोसाइटी के वर्तमान या भूतपूर्व सदस्यों या किसी एक या एकाधिक वर्तमान या भूतपूर्व सदस्यों के माध्यम से मांग करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभांश, बोनस, लाभ या किसी भी रीति से भुगतान नही किया जायेगा।सोसाइटी के किसी भी सदस्य का सोसाइटी की किसी भी चल याअचल सम्पत्ति पर कोई व्यक्तिगत दावा नही रहेगा या वह इस सदस्यता के कारण कोई भी लाभ नही कमायेंगा।